[illegible] गुडामालानी

29/9/23 पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है । अतः इत्तला होकर
पत्रावली आइन्दा 6/10/23 को पेश हो ।

06/10/23. पत्रावली आज पेश हुयी दोनो पक्षो के वकील उपस्थित
हुये। नहीं आदेश नकल के खिलाफ जाकर द्वितीय
न्यायालय हुकुम नामा आदेश की प्रति पालनार्थ सम्बन्धित
को प्रेषित हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल मिसल
हो। पत्रावली निर्णय मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो

[illegible] गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलवी आर.ए.एस

ग संख्या : 66/2023

थींगण :–

1. जैरूपा पुत्र भीखा
2. रणछाराम पुत्र अजाराम
3. रतनाराम पुत्र भीखाराम

जाति कुम्हार निवासी गोदारों की ढाणी, गांधवकला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. मिसराराम पुत्र काछबाराम जाति विश्नोई
2. रावता पुत्र भगा
3. हड़ुमान पुत्र भगा
4. हेमी पत्नी भगा जाति कुम्हार निवासी गोदारों की ढाणी, गांधवकला तहसील गुड़ामालानी
5. तहसीलदार गुड़ामालानी

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित

1. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता विप्राथी सं. 1**

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 06.10.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु पर्याप्त अवसर लिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी के आवेदन का कोई जबाव पेश नहीं किये जाने से जबाव का अवसर बन्द किया गया। शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र गांधव कला के राजस्व ग्राम गोदारों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 125 रकबा 0.3480 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित आराजी तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र गांधव कला के राजस्व ग्राम गोदारों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 125 रकबा 0.3480 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु **भू-अभिलेख निरीक्षक पीपराली** को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 06/10/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी